

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 31/17 (2017/00090) वादपत्र

अनवान

1. दोलतसिंह पिता माकन सिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/1.कालुसिंह आत्मज दोलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/2.नरपतसिंह आत्मज दोलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3.महेन्द्रसिंह आत्मज दोलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
- 1/3/1.गटुकंवर बेवा महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/3/2.किरणकवरं पुत्री महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4.हिम्मतसिंह आत्मज दोलतसिंह निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4/1.राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/4/2.खुशवीर आत्मज हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह नि0 खेमाणा,
- 1/4/3.हिमांशु आत्मज हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह निवासी खेमाणा,
- 1/4/4.आशाकंवर पुत्री हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह निवासी खेमाणा,

वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता किशना तेली निवासी पांलरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अण्छी पत्नि मांगु तेली निवासी पांलरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दवेन्द्रसिंह पिता जब्बरसिंह राजपूत नाबा जरिये पाकृ. सरक्षक स्वयं नि. खेमाणा, त. रायपुर
4. छोटुसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसबाई बेवा लालसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 06.08.2020


पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 17.03.2020 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेमाणा पटवार हल्का खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2131 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2132 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2133 रकबा 1.49 है0, आराजी संख्या 2134 रकबा 0.02 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 है0 भूमि में आराजी संख्या 2134 रकबा 0.02 है0 गेमुआचा को सामलाती रखते हुए शेष आराजियात में वादीगणका 1/4 हिस्से का बाई मीट्स बोर्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 30.07.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे खाता संख्या 339 की प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/2 रकबा 0.43 है0, भूमि कालुसिंह नरपतसिंह पिता दौलतसिंह 1/2 गंटुकंवर बेवा महेन्द्रसिंह किरणकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 1/4 राजुकंवर बेवा हिम्मतसिंह खुशवीर हिमांशु पिता हिम्मतसिंह ना.बा. आशाकंवर पुत्री हिम्मतसिंह ना.बा.ब.वि. माता राजुकंवर बेवा हिम्मतसिंह 1/4 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/3 रकबा 0.43 है0 भूमि मांगु पिता किशना 2/3 अणछीदेवी पत्नि मांगु 1/3 तेली सा. पालरां खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2131 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2132 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2133/5 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि देवेन्द्रसिंह पिता जब्बरसिंह ना.बा.ब.वि. सरक्षंकवली खुद राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/4 रकबा 0.43 है0 भूमि छोटुसिंह पिता लालसिंह पारस बेवा लालसिंह राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2134 रकबा 0.02 गे.मु. आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि को शामलाती रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
6.8.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 31/17 (2017/00090) वादपत्र

अनवान

1. दौलतसिंह पिता माकन सिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
  - 1/1.कालुसिंह आत्मज दौलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/2.नरपतसिंह आत्मज दौलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/3.महेन्द्रसिंह आत्मज दौलतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
  - 1/3/1.गटुकंवर बेवा महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/3/2.किरणकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/4.हिम्मतसिंह आत्मज दौलतसिंह निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/4/1.राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
  - 1/4/2.खुशवीर आत्मज हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह नि. खेमाणा
  - 1/4/3.हिमांशु आत्मज हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह निवासी खेमाणा,
  - 1/4/4.आशाकंवर पुत्री हिम्मतसिंह नाबाबे जरिये माता राजकंवर पत्नि हिम्मतसिंह निवासी खेमाणा,
- वादीगण

बनाम

1. मांगु पिता किशना तेली निवासी पांलरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अण्ठी पत्नि मांगु तेली निवासी पांलरा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. दवेन्द्रसिंह पिता जब्बरसिंह राजपूत नाबा जरिये पाकृ. सरक्षक स्वयं नि. खेमाणा, त. रायपुर
4. छोटुसिंह पिता लालसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पारसबाई बेवा लालसिंह राजपूत निवासी खेमाणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी बैंक शाखा मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम खेमाणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 339 की प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/2 रकबा 0.43 है, भूमि कालुसिंह नरपतसिंह पिता दौलतसिंह 1/2 गटुकंवर बेवा महेन्द्रसिंह किरणकंवर पुत्री महेन्द्रसिंह 1/4 राजुकंवर बेवा हिम्मतसिंह खुशवीर हिमांशु पिता हिम्मतसिंह ना.बा. आशाकंवर पुत्री हिम्मतसिंह ना.बा.ब.वि.

माता राजुकवंर बेवा हिम्मतसिंह1/4 राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/3 रकबा 0.43 है0 भूमि मांगु पिता किशना 2/3 अणछीदेवी पत्नि मांगु 1/3 तेली सा. पालरां खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2131 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2132 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 2133/5 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.43 है0 भूमि देवेन्द्रसिंह पिता जब्बरसिंह ना.बा.ब.वि. सरक्षंकवली खुद राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/4 रकबा 0.43 है0 भूमि छोटुसिंह पिता लालसिंह पारस बेवा लालसिंह राजपूत सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 2133/1 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2134 रकबा 0.02 गे.मु. आचा कुल किता 2 कुल रकबा 0.15 है0 भूमि को शामिल करके रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 06.08.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

  
6.8.2020  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

